कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / Q-1 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांकः 22/01/2026

// चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) पाठ्यक्रम - प्रवेश वर्ष 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया निरस्तीकरण संबंधी सूचना//

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक एमसीसी 40/2026 (छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य विरुद्ध डॉ. समृद्धि दुबे) में दिनांक 16.01.2026 को पारित निर्णय के परिपालन में तथा दिनांक 22.01.2026 को जारी संशोधित नियमों के उपरांत चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष 2025 से संबंधित प्रवेश नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया है। **(संलग्न – छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 संशोधित नियम)**

उक्त संशोधन के फलस्वरूप संपूर्ण आरक्षण रोस्टर/सीट मैट्रिक्स में परिवर्तन होना अनिवार्य है, जिसके कारण अब तक तैयार की गई सीट मैट्रिक्स के आधार पर किए गए आवंटनों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रवेश वर्ष 2025 हेतु पूर्व में संपन्न प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया तथा उनके माध्यम से किए गए समस्त आवंटनों को निरस्त (Cancel) किया जाता है।

संशोधित नियमों एवं नवीन 200 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः संचालित किए जाने के संबंध में पृथक से सूचना यथासमय वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी।

अतः सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नवीन सूचना हेतु नियमित रूप से संचालनालय की वेबसाइट ***www.cgdme.in*** का अवलोकन करते रहें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Usha 22/1/2026
अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जनवरी 2026 —— माघ 2, शक 1947

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/205/2025-MED.— छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्रं. 28 सन् 2002) की धारा–3 सहपठित धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम–11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''11. प्रवेश हेतु सीटों का विभाजन :–

(क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में अखिल भारतीय कोटे हेतु समर्पित की गई 50 प्रतिशत सीटों के उपरांत, शेष उपलब्ध 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर वे पंजीकृत अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(ख) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में कुल सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर वे पंजीकृत अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

शेष उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटों को प्रावीण्यता के आधार पर ओपन सीटों की भांति आवंटित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं किया है (गैर संस्थागत अभ्यर्थी), पात्र होंगे।

(ग) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत ओपन सीटों पर भी राज्य में प्रचलित आरक्षण नियम–6 लागू होगा।

(घ) यदि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं एवं सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो काउंसिलिंग की तृतीय चरण की आवंटन प्रक्रिया के समय उन रिक्त सीटों को रूपांतरित (Conversion) करते हुए उन्हें गैर संस्थागत अभ्यर्थियों को आवंटित किया जा सकेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लविना पाण्डेय, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.